143

संख्या–324/XLI-1/14–37/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रूड़की (हरिद्वार)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 09 अप्रैल, 2014

विषयः– उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 कै आय–व्यक की वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2013 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के वचनबद्ध मदों एवं आवश्यक अवचनबद्ध मदों के व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनेत्तर पक्ष में ₹237.00 लाख (रूपये दो करोड़ सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

3– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययर्क सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियॉ शासनादेश संख्या बी–2–2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

6– बजट नियंत्रक अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के कम में जारी किया जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

7– विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एंव नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

8– बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामलें में असीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी.एम–8 पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनश्चित किया जाय।

9– स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिंाक 18.03.2014 में निर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2203–तकनीकी शिक्षा के अधीन संलग्नक परिशिष्ट में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

11– जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2014–15 मे स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

12– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18.03.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
3. निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. कोषाधिकारी, रूड़की, हरिद्वार।
5. वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
7. बजट राजकोषीय प्रकोष्ठ सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
उप सचिव।

शासनादेश संख्याः–324 / XLI-1 / 13–37 / 2014 दिनांक 09 अप्रैल, 2014का परिशिष्ठ

राजस्व लेखा अनुदान संख्याः–11 (धनराशि रूपये हजार में)

लेखाशीर्षक / मानक मद		स्वीकृत धनराशि (आयोजनेत्तर)
2203–	तकनीकी शिक्षा	
800–	अन्य व्यय	
03–	प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद	
01–	वेतन	7000
02–	मजदूरी	1000
03–	मंहगाई भत्ता	7700
06–	अन्य भत्ते	770
09–	विद्युत देय	200
10–	जलकर / जल प्रभार	30
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	7000
	कुल योगः–	23700

(रूपये दो करोड़ सैंतीस लाख मात्र)

(एस.एस.टोलिया)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन संख्या - 324/XLI-1/14-37/2014 | अलोटमेंट आई डी - S1404110197

अनुदान संख्या - 011 | आवंटन पत्र दिनांक -09-Apr-2014

HOD Name - Secretary Technical Education Board (4107)

1: लेखा शीर्षक 2203 - तकनीकी शिक्षा | 00 -

800 - अन्य व्यय | 03 - प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद

00 - प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	7000000	7000000
02 - मजदूरी	0	1000000	1000000
03 - महंगाई भत्ता	0	7700000	7700000
06 - अन्य भत्ते	0	770000	770000
09 - विद्युत देय	0	200000	200000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	30000	30000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	7000000	7000000
	0	23700000	23700000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 23700000